औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के विस्तार के साथ विश्व के बहुत सारे देशों में कल-कारखानों की स्थापना हुई। इन कारखानों के लिए कच्चे माल (Raw materials) तथा उनमें निर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार की मांग वढ़ने लंगी । इन मांगों की पूर्ति कर पाने में सक्षम होने की इच्छा रखने वाले देशों के बीच, कच्चे माल के स्रोतों (Sources) तथा बाजारों पर कब्जा करने की होड़ मच गयी ! इस होड़ में दूसरों से आगे रहने के ललक में एक तो शासक देश अपने-अपने उपनिवेशों (Colonial Countries) का वृद्धित गति से शोषण करने लगे और दूसरा विश्व प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्धों में झोंक दिया गया । विश्व व्यापार के क्षेत्र में व्याकुलता तथा असुरक्षा के माहौल व्याप्त हो गये । दो-दो विश्वयुद्धों से जर्जर हुआ तथा अनिश्चितता से ग्रसित विश्व, विधि आधारित किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करने की दिशा में प्रयासरत हो गया । अन्तत: वर्ष 1948 में 'तटकरों और व्यापार पर सामान्य सहमति (General Agreement on Tariff and Trade : GATT) अर्थात् 'गैट' का प्रादुर्भाव हुआ ।

कथित सहमति प्रपत्र पर भारत सहित 23 देशों ने हस्ताक्षर किये । तब से लेकर वर्ष 1994 तक 'गैट' एक ऐसा मंच (Forum) था, जहाँ (जिसके तत्वावधान में) विश्व व्यापार को नियंत्रित तथा नियमित करने (To control and Regulate) के उद्देश्य से, नियम बनाये जाते थे । वर्ष 1994 तक 'गैट' के तत्वावधान में सहमति वार्ताओं के आठ दौर (Round) हुए । वास्तव में 'गैट' एक तदर्थ (Adhoc) तथा अस्थायी (Temporary) निकाय था जिसे जनवरी 1995 के प्रभाव से 'विश्व व्यापार संगठन' (World Trade Organisation : WTO) में परिणत कर दिया गया ।

'विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना करने का निर्णय 'गैट' के आठवें अर्थात् उरुग्वे दौर (Round) में लिया गया । स्मरणीय है कि 'गैट' का यह दौर अत्यन्त विवादपूर्ण था । अन्तर्निहित रूप से गैट की अपेक्षा विश्व वयापार

संगठन को एक बेहतर व्यवस्था माना जाता है । इसका मुख्य कारण यह है कि विश्व व्यापार संगठन का ठोस वैधानिक (Legal) आधार है । इसके समझौतों की पुष्टि सदस्य देशों की संसदें करती हैं । दूसरी महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ 'गैट' के नियम केवल वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित किया करते थे, वहाँ डबल-यू० टी० ओ० का कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो गया है, इसके नियम वस्तुओं के व्यापार के अतिरिक्त सेवाओं (Services) के व्यापार तथा बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) पर भी लागू होते हैं । विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य वही है जो 'गैट' के थे । डबल-यू० टी० ओ० गैट की अपेक्षा अधिक शक्ति सम्पन्न तथा अधिक प्रभावी है । विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है ।

विश्व व्यापार संगठन का एक सामान्य परिषद (General Council) है । इसी के माध्यम से संगठन का कार्य संचालन होता है । सामान्य परिषद् में प्रत्येक सदस्य देश (राष्ट्र) का एक स्थायी प्रतिनिधि (Permanent Representative) रहता है । सामान्य परिषद् की जिनेवा में महीने में बैठक होती है ।

नियमित प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन करने का दायित्व महानिदेशक (Director General) को दिया गया है । वही संगठन का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है । महानिदेशक का चयन (Election) सामान्य परिषद करता है । प्रत्येक सदस्य देश के पास केवल एक वोट देने का अधिकार होता है । वर्त्तमान में नवीनतम सदस्य नेपाल तथा कम्पुचिया (कम्बोडिया) को मिलाकर सामान्य परिषद्, या यों कहें कि विश्व व्यापार संगठन के कुल 148 सदस्य हैं । महानिदेशक का कार्यकाल चार वर्षों का होता है । वर्त्तमान में डबल-यू० टी० ओ० का महानिदेशक इटली के भूतपूर्व व्यापार मंत्री रिनेटोरुगेरो हैं ।

संगठन की नीतियों के निर्धारण का कार्य सर्वोच्च अधिकार युक्त मंत्री स्तरयी सम्मेलन (Ministerial Conference) में होता है । मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सदस्य देशों के वाणिज्य तथा व्यापार मंत्री भाग लेते हैं । सम्मेलन दो वर्ष में एक बार आयोजित होता है ।

7.2 विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (Purpose of World Trade Organisation)

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों (International Trade Relations) से संबंधित उन 28 समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जिन्हें उरुग्वे दौर (Round) की वार्ताओं में सम्मिलित किया गया था और 1994 में मोरोक्कों के मरकिश नगर में पारित किया गया था । यह संगठन अनेक बहुपक्षीय (Multilateral) समझौतों को भी लागू करता है, जो मुख्य रूप से असैनिक विमानों (Civil Air-Crafts) की खरीद से संबंधित हैं । यह संगठन बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (Multilateral Trade System) के लिए संस्थागत (Institutional) तथा कानूनी (Legal) आधार प्रदान करता है । इसके पाँच प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं–

(क) विश्व व्यापार समझौतों में सम्मिलित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को लागू करना,

(ख) अपने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए मंच उपलब्ध कराना,

(ग) अपने सदस्य देशों के बीच के व्यापार संबंधी विवाद हल करने में सहायता करना,

(घ) अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी (Monitor) करना और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्धारण से संबंधित दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग (Co-operative) करना ।

विश्व व्यापार संगठन, संक्षेप में 'विन्यास' का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन **सिंगापुर** में 1995 में आयोजित हुआ था । इसका दूसरा और तीसरा सम्मेलन क्रम से **जिनेवा** (मई 1997) और **सियाटल** (नव० 1999) में हुए थे । सियाटल बैठक में विश्व व्यापार के उदारीकरण की प्रक्रिया को लेकर विकसित तथा विकासशील देशों के बीच

असहमति सामने आयी । भारत सहित कई दूसरे सदस्य देशों के विरोध को देखते हुए व्यापार तथा समभाजकों पर एक कार्यदल (Working Group) बनाया गया ।

'विन्यास' का चौथा सम्मेलन दोहा (कातर) में (नव० 2001) आयोजित हुआ था । इस सम्मेलन में भी विकसित और विकासशील देशों में मतभेद थे । परन्तु अंतत: ट्रिप्स समझौते, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बौद्धिक सम्पदा, डंपिंग विरोधी, सब्सिडी विरोधी और प्रतिरोधी शुल्क के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये ।

'विन्यास' का पांचवां अर्थात् कॉनकुन (मैक्सिको) सम्मेलन (सि० 2003) विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भारी मतभेद के कारण विफल हो गया । विकसित देश कृषि क्षेत्र को जो घरेलू तथा निर्यात सब्सिडी देते हैं उसे समाप्त करने के उद्देश्य से घोषणा पत्र का जो संशोधित मसौदा वितरित किया गया था उसे भारत सहित दूसरे विकासशील देशों ने यह कहकर नकार दिया कि उक्त मसौदा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय समुदाय के पक्ष को मजबूत करेगा । इसके अतिरिक्त 'विव्यासं' की कार्यसूची में सिंगापुर मुद्दे को शामिल करने की दिशा में औद्योगिक देशों के प्रयास को भी भारत, चीन तथा ब्राजील ने विफल कर दिया ।

7.3 विश्व व्यापार संगठन के निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of WTO)

1. **भेदभाव रहित व्यापार को प्रोत्साहन देना** : इस अवधारणा के अन्तर्गत दो बातें आती हैं–
   (i) यदि कोई सदस्य देश किसी एक सदस्य देश को व्यापार संबंधी कोई सुविधा देता है तो उसे वैसी सुविधा सभी सदस्य देशों को देनी होगी । उदाहरणस्वरूप यदि कोई सदस्य देश किसी एक सदस्य देश को अति कृपापात्र राष्ट्र (Most Favoured Nation) का दर्जा देता है तो उसे यह दर्जा सभी सदस्य देशों को देना पड़ेगा ।
   (ii) कोई भी सदस्य देश आयातित (Imported) तथा घरेलू उत्पाद की वस्तुओं (Domestic products) के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर पायेगा ।
2. **धीरे-धीरे मुक्त व्यापार प्रणाली प्रवृत्त (Introduce) करना** : मुक्त व्यापार की स्थिति लाने के उद्देश्य से समझौतों के माध्यम से व्यापार के अवरोधों (Restrictions) को दूर करना अर्थात् सीमा शुल्क (Tariff) जैसी बाधाओं को धीरे-धीरे हटाना ।
3. **अनुमान्य व्यापार प्रणाली प्रवृत्त (Introduce) करना** : इसके अन्तर्गत सदस्य देशों द्वारा आयातों पर लगाये जाने वाले सीमा शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित करना आता हे ।
4. **अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यापार प्रणाली प्रवृत्त करना** : इसके अन्तर्गत व्यापार में स्पर्द्धा कम करने के उद्देश्य से सदस्य देशों को अपने-अपने देश से निर्यातित वस्तुओं को सब्सिडी देने को कम करने का प्रावधान है ।

व्यापार समझौते तथा उनके उद्देश्य

गैट तथा विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में तीन मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जो निम्न प्रकार हैं–

1. **तटकर तथा व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade and Tariff : GATT)** : इसका उद्देश्य सरकारों या संगठनों को शुल्क तथा सब्सिडी के माध्यम से व्यापार को प्रभावित करने से रोकना है ।

   इसमें समझौतों की क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा विवादों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल है ।
2. **सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता** जो बैंकिंग, बीमा, सलाह (Counselling) इत्यादि पर प्रभावी है ।
3. **बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) अधिकार के व्यापार सम्बन्धी समझौता** जो पेटेण्ट, कॉपी राइट, ट्रेड मार्क इत्यादि पर प्रभावी है ।

इन समझौतों के अन्तर्गत निम्न सहायक समझौते हस्ताक्षरित किये गये हैं--

A. गैट की धारा VII के क्रियान्वयन पर समझौता

इसके अन्तर्गत सदस्य देशों द्वारा समझौते में उल्लेखित आयात मूल्यांकन के तयशुदा सिद्धान्तों का पालन करना तथा उनके सीमा शुल्क विभागों को मनमानी फैसले लेने से रोकना आते हैं ।

B. निर्यात-पूर्व निरीक्षण (Pri-Shipment Inspection : PMI)

मूल्य निर्धारण करने में लगभग 30 विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में पी० एम० आई० की कम्पनियाँ मनमानी उपयोग करते हैं । इस समझौते का उद्देश्य उन्हें ऐसा करने से रोकना है ।

C. व्यापार के तकनीकी अवरोध पर समझौता (Technical Barrier Treaty : TBT)

इसका उद्देश्य आयातक देशों को बाध्यकारी मानकों (Compulsory Standards) का दुरुपयोग करने से रोकना, अपने मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष रखने के लिए बाध्य करना तथा ऐसे 'पूछताछ बिन्दु' (Enquiry Points) जहाँ मानकों के बारे में जानकारी मिल सके, की स्थापना करने के लिए निर्देश देना है ।

D. स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता उपयोग पर समझौता

कोई आयातक देश किसी वस्तु के आयात पर, इस आधार पर कि उससे उसके लोगों, पशुओं, वनस्पतियों इत्यादि को हानि पहुँच सकती है, रोक लगा सकता है ।

E. आयात लाइसेंस पर समझौता

इसके अन्तर्गत सदस्य देशों द्वारा आयात लाइसेंस निर्गत करने की रीति (Procedure) को पारदर्शी (Transparent) बनाना तथा निर्गत की समय सीमा तय करना शामिल हैं ।

F. निर्यात पर लागू होने वाले नियम

इसका उद्देश्य निर्यात के लिए उत्पादन करने वालों को अपरोक्ष (Indirect) करों जैसे उत्पाद कर (Excise duty) अथवा प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर (Income Tax) की छूट देने से सदस्य देशों को रोकना है ।

यदि समय का तकाजा हो तो निर्यात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की अनुमति सदस्य देशों को प्राप्त है, परन्तु कुछ मामलों को छोड़कर, शुल्क लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्राप्त नहीं है ।

G. सब्सिडी देने तथा समतुल्य कदमों पर समझौता

इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा निर्यात की वस्तुओं को सब्सिडी देने पर रोक लगाना है, परन्तु यह समझौता सदस्य देशों को अनुमति योग्य (Permissible) सब्सिडी देने की छूट देता है । कुछ अपवादों को छोड़कर विकासशील देशों को सब्सिडी इत्यादि को चरणबद्ध रीति से वर्ष 2000 तक समाप्त कर देना था । इसमें सब्सिडी के स्तर तथा दायरे को ठंडे बस्ते में रखने (फ्रीज करने) का प्रावधान है ।

H. संरक्षण (Safeguard) के उपायों पर समझौता

इसके अन्तर्गत संक्रमण काल (Transitional Period) में आयात में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण यदि घरेलू उत्पादकों को क्षति पहुँचने की सम्भावना दीख पड़े तो उन्हें राहत देने की दिशा में कदम उठाने की सदस्य देशों को अनुमति प्राप्त है ।

I. डंपिंग उपायों पर समझौता

यह समझौता ऐसी वस्तुएँ जिन्हें आयात करने पर उनके निर्यातक देश को अनुचित व्यापार व्यवहार (Improper Trade Practices) का लाभ मिलता हो सदस्य देशों को उनके आयात पर रोक लगाने का अधिकार देता है ।